न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 06 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खानूराम 2 दैराजराम 3 पेमाराम पिसराम बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 बाबूलाल 2 गेनाराम 3 किस्तुराराम पिसराम जालूराम 4 किशनीदेवी पत्नी जालूराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 5 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री मेघाराम चौधरी वकील वादीगण।

2. श्री भोमाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 15-02-21

संक्षिप्त मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 स्वर्गीय जालूराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जसोताणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 282 / 28 रकबा 26.04 बीघा व मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 764 / 125 रकबा 49.02 बीघा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 2 / 7 हिस्से में वादीगण का हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 14–1 / 14 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 14–1 / 14 हिस्सा निहित होने से सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 14–1 / 14 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 खानूराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप [illegible] प्रस्तुत कर वाद पत्र मे अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे स[illegible] गया।

बहस सुनी गई। वकील वा[illegible] तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक [illegible] में वादीगण का जन्म [illegible] हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:06 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर।

यन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा एवं अभिलेख वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 282/28 रकबा 26.04 बीघा व मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 764/125 रकबा 49.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * बाड़मेर *

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.02.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खानूराम 2 देराजराम 3 पेमाराम पिसरान बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।		1 बाबूलाल 2 गेनाराम 3 किस्तूराराम पिसरान जालूराम 4 किसनीदेवी पत्नी जालूराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 5 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 06/2021

निर्णय दिनांक :– 19.02.21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.02.21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 282/28 रकबा 26.04 बीघा व मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 764/125 रकबा 49.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 19.02.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * बाड़मेर *

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.03.02 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

खर्च की सूची

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	